न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2014-00062RAAJu2014-011RTA223 Likhamaram Vs Gumanaram etc

लिखमाराम पुत्र देदाराम जाट
निवासी गांव गुजरावास खुर्द,
तहसील व जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. गुमनाराम पुत्र देदाराम जाट निवासी गांव गुजरावास खुर्द, तहसील व जिला जोधपुर
2. खुशाराम पुत्र देदाराम जाट, निवासी गुजरावास खुर्द, तहसील व जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 18 नवम्बर 2013 राजस्व वाद संख्या 121/2013 गुमानाराम बनाम खुशाराम व अन्य

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
रेस्पो. संख्या एक व दो की ओर से कोई उपस्थित नहीं
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 28 फरवरी, 2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 121/2013 गुमानाराम बनाम खुशाराम व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 नवम्बर 2013 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 24 जनवरी 2014 को अदालत हाजा के समक्ष पेश की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक गुमनाराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत आराजी खसरा संख्या 144 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा गुजरावास खुर्द वादी-रेस्पो. तथा प्रतिवादीगण संख्या एक व दो की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे-काश्त की भूमि है तथा इसमें इन तीनों का प्रत्येक का बराबर-बराबर ⅓-⅓ हिस्सा जाहिर करते हुए वाद पेश किया। वाद के साथ नक्शा किस्तवार और गिरदावरी संवत 2060 से 2063 की नकल भी पेश की और बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन की मांग की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या एक रजिस्टर्ड एडी नोटिस भिजवाये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की गयी। वादी की ओर से साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं का शपथपत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई उक्त वाद जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18 नवम्बर 2013 प्राथमिक रूप से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री कर दिया गया जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने के पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन तक नहीं किया और अपीलाण्ट को भी सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि अपील पेश होने के बाद एक अन्य दावा में लिखमाराम की ओर से बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा खसरा संख्या 144 सहित अन्य खसरा नम्बर 82/2, 82/1, 98/1, 98/2, 99/1, 139, 166/3 के संबंध में पेश हुआ, जिसमें जबाबदावा खसरा संख्या 144 को छोडकर बंटवारा बाबत कह दिया गया। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय की पालना में पटवारी हळका दिनांक 19 जनवरी 2014 को मौके पर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने आया, तब हुई, तो 20 जनवरी 2014 को अपीलाण्ट ने जोधपुर आकर अधीनस्थ न्यायालय में नकल हेतु आवेदन किया और दिनांक 21 जनवरी 2014 को नकल प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही कर जानकारी की दिनांक से अंदर मियाद आलौच्य अपील पेश की है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे और वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

रेस्पो. संख्या एक व दो बावजूद सूचना अनुपस्थित जबकि रेस्पो. संख्या तीन की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट-प्रतिवादी लिखमाराम की ओर से दिनांक 13 जनवरी 2009 को अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। इसके बाद पेशी-दर-पेशी अपीलाण्ट-प्रतिवादी. के अधिवक्ता द्वारा जबाबदावा पेश करने हेतु समय लिया जाता रहा, अन्ततः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कई बार अंतिम अवसर दिये जाने के बाद दिनांक 17 जनवरी 2012 को **100/- रूपये कॉस्ट पर जबाब दावा हेतु समय दिया जाकर आगामी पेशी 08 फरवरी 2012 मुकर्रर की गयी। 08 फरवरी 2012 को पुनः समय की मांग किये जाने पर दुबारा 200/- रूपये कॉस्ट पर जबाब दावा हेतु समय दिया जाकर आगामी पेशी** 03 अप्रेल 2012 मुकर्रर की गयी। मगर दिनांक **03 अप्रेल 2012 तक भी जबाबदावा पेश नहीं किया** जाकर पुनः समय की मांग की गयी, तब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समय दिया जाना उचित नहीं समझते हुए जबाब प्रतिवादीगण बंन्द किया गया और मिसल साक्ष्य हेतु 18 अप्रेल 2012 मुकर्रर की गयी । **साक्ष्य-प्रतिवादीगण हेतु भी दिनांक 26 दिसम्बर 2012 तक अवसर दिये जाने के बाद जब स्वयं प्रतिवादी-पक्ष की ओर से "कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते जाहिर किया गया, तब उनकी साक्ष्य बंद की गयी है।** ऐसी स्थिति में अपील स्तर पर प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से यह कहा जाना कतई मानने योग्य नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इतना ही नहीं, जब मिसल न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षणाधीन) जोधपुर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को स्थानान्तरित की गयी, **उस दिन की आदेशिका लिखे जाने के समय भी प्रतिवादी-अपीलाण्ट के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे।** अतः विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के अनुरूप अधिवक्ता की जानकारी स्वयं पक्षकार की जानकारी माने जाने के सिद्धान्त के आधार पर भी अपीलाण्ट को समुचित जानकारी उपलब्ध थी।

इन परिस्थितियों एवं तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु अपीलाण्ट की ओर से अपील मीमो के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम मय शपथपत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है, जो तदनुसार अपील अपीलाण्ट मियाद-बाधित होने से तदनुसार खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

जहॉ तक अपील के गुणावगुण का प्रश्न है, अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने बरवक्त बहस जाहिर किया कि अपील पेश होने के बाद एक अन्य दावा लिखमाराम की ओर से बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा खसरा संख्या 144 सहित अन्य खसरा नम्बर 82/2, 82/1, 98/1, 98/2, 99/1, 139, 166/3 के संबंध में पेश हुआ, जिसमें जबाबदावा में खसरा संख्या 144 को छोडकर बंटवारा बाबत कह दिया गया। मगर अव्वल तो अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा वर्णित उक्त घटनाकम अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने के बाद का है और द्वितीय, अपने उक्त अभिकथन के समर्थन में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा कोई **प्रमाणित प्रतिलिपि** आदि पेश नहीं की गयी है। अन्य कोई ऐसा तर्क अथवा कथन भी अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री में

किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य एवं आधार नजर आता हो।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जाती है एवं और अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18 नवम्बर 2013 यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 28/2/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		**रेस्पोडेण्ट**
लिखमाराम पुत्र देदाराम जाट निवासी गांव गुजरावास खुर्द, तहसील व जिला जोधपुर	ब ना म	1. गुमनाराम पुत्र देदाराम जाट निवासी गांव गुजरावास खुर्द, तहसील व जिला जोधपुर 2. खुशाराम पुत्र देदाराम जाट, निवासी गुजरावास खुर्द, तहसील व जिला जोधपुर 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 18 नवम्बर 2013 राजस्व वाद संख्या 121/2013 गुमानाराम बनाम खुशाराम व अन्य

-----0 -----

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 28 फरवरी 2020 रूबरू बहाजरी अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी मिनजानिब अपीलाण्ट, एवं श्री दूदाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता मिनजानिब रेस्पो. समायत पेश होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जाती है एवं और अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18 नवम्बर 2013 यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग --/-----) रूपये -/------------ अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का -----/--- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 28 फरवरी 2020 को जारी किया गया।

28/2/2020

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील		1. स्टाम्प वकालतनामा	
2. स्टाम्प वकालतनाम		2. स्टाम्प अर्जी	
3. इजराय हुक्मनामा		3. इजराम हुक्मनामा	
4. वकील फीस बाबत		4. मेहनताना वकील	
मीजान		मीजान	

28/2/2020

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर